उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या- 32/2023 /983/तीस-3-2023

लखनऊ : दिनांक: 03 अप्रैल, 2023

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापन विषयक अधिसूचना संख्या- 1001/तीस-3-2023, दिनांक 03.04.2023 संबंधी अधिसूचना (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

2- सचिव, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

3- कार्मिक अनुभाग-1/2

4- कार्मिक नियमावली सेल।

5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

6- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 300 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष, तृतीय तल, संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्याः- 1001/30-3-2023

लखनऊः दिनांकः 03 अप्रैल,2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, 'उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990' में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। 2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।		
नियम-5 का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990, में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-		
	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	
	विद्यमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड	
(1)सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	(एक) पचास प्रतिशत सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(1) सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (साधारण वेतनमान)	(एक) पचास (50) प्रतिशत, सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
	(दो) चौबीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे यात्री कर/मालकर अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस का इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		(दो) साढ़े तेईस (23.50) प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे यात्रीकर/मालकर अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
	(तीन) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सम्भागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		(तीन) साढ़े चौबीस (24.50) प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सम्भागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
	(चार) एक प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियोजन अधिकारियों(परिवहन) में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में		(चार) दो (2) प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियोजन अधिकारियों(परिवहन) में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।		प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
	परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो पद सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।		परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिये पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो पद, सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

आज्ञा से,

ह0/-

(एल0 वेंकटेश्वर लू)

प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification. No. 1001/30-3-2023, dated : 03 April, 2023

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TRASNPORT SECTION-3
NOTIFICATION

Miscellaneous
No. 1001/30-3-2023
Dated Lucknow 03 April, 2023

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the 'Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990;

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT SERVICE (SIXTH AMENDMENT) RULES, 2023

<table>
<tr><td colspan="3">Short title and commencement</td><td colspan="3">1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Service (Sixth Amendment) Rules, 2023
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Amendment of rule-5</td><td colspan="3">2. In the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990, in rule 5 for existing clause (1) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td colspan="3">COLUMN-1
Existing Clause</td><td colspan="3">COLUMN-2
Clause as hereby substituted</td></tr>
<tr><td></td><td>(1) Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)</td><td>(i) Fifty percent by direct recruitment through the commission on the basis of the result of the combined State Services Examination.</td><td></td><td>(1) Assistant Regional Transport Officer (Ordinary Scale)</td><td>(i) Fifty (50) percent by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the combined State Services Examination.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(ii) Twenty four percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Passenger/Goods Tax Officer, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.</td><td></td><td></td><td>(ii) Twenty three and the half (23.50) percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Passenger/Goods Tax Officer, who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(iii) Twenty five percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Regional Inspectors (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.</td><td></td><td></td><td>(iii) Twenty four and the half (24.50) percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Regional Inspectors (Technical) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(iv) **One percent** by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Prosecuting Officers (Transport) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.			(iv) **Two (2) percent** by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Assistant Prosecuting Officers (Transport) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
		Provided that if sufficient number of eligible or suitable candidates are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.			Provided that if sufficient number of eligible or suitable candidates are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the result of the Combined State Services' Examination.

By Order,
Sd/-
(L.Venkateshwar Lu)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।